

\*प्रेस नोट\*

\*थाना दशाश्वमेध पुलिस द्वारा तीन शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की दो मोटर साइकिल बरामद\*

दिनांक 22.02. 2021को थाना दशाश्वमेध के उ दिलेश सरोज मय 0नि0हमराही देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि पिछले दिनों थाना दशाश्वमेध क्षेत्र से जो मोटर साइकिलें पल्सर व स्पेलेण्डर प्लस चोरी हुई थी के साथ व्यक्ति विजयबीर हनुमान मंदिर के पास मो 02टर साइकिल के साथ है, यदि जल्दी किया जाए तो दोनो व्यक्तियों को गाड़ी के साथ पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास कर उक्त स्थान से मुखबिर की निशानदेही पर दो व्यक्ति को दो मोटर साइकिल के साथ पकड़ा गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम अजय पटेल पुत्र छोटेलाल पटेल निवासी ग्राम कुरौना थाना जंसा जनपद वाराणसी उम्र करीब वर्ष बताया तथा तथा दूसरे व्यक्ति ने 20 अपना नाम सलमान भारती पुत्र पोसू निवासी ग्राम परमान्दापुर थाना जंसा जनपद वाराणसी उम्र करीब वर्ष बताया 20। जिनके कब्जे से दो मोटर साइकिल चोरी की बरामद हुई है। उक्त के संबंध में थाना दशाश्वमेध द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*पूछताछ विवरण\*

पकड़े गये व्यक्तियों से पूछताछ की गयी तो सलमान ने बताया कि स्पेलेण्डर प्लस मेरी है तथा अजय पटेल ने बताया कि पल्सर मेरी है चूकि स्पेलेण्डर प्लस UP 65 CM नम्बर प्लेट पर 7175 11 0सं0अ0लिखा है जो थाना स्थानीय के मु/379 धारा 2021 IPC से सम्बन्धित है जिसकी चोरी होने की बात बताते हुए पुनः पूछा गया तो दोनो ने बताया कि दोनो गाड़िया पल्सर और स्पेलेण्डर प्लस हम दोनो ने शनि सिंह पुत्र विनोद कुमार सिंह निवासी ग्राबरुका थाना जंसा 0 15000 जनपद वाराणसी से पल्सर गाड़ी को/- में तथा स्पेलेण्डर प्लस को 10000/- रुपये में खरीदे है और बताये कि जिस व्यक्ति से हम लोगो ने मोटरसाइकिल खरीदी है उससे मिलवाकर पूछवा सकते है, जिससे कि आपको विश्वास हो जाए कि हम दोनो ने ये गाड़िया चुरायी नही है । दोनो व्यक्तियों के बोतो पर विश्वास कर दोनो व्यक्तियों को साथ लेकर दोनो व्यक्तियों द्वारा बताये हुए स्थान ग्राम बेरुका थाना जंसा वाराणसी शनि सिंह पुत्र विनोद कुमार सिंह के घर आये दोनो व्यक्तियों ने कुँए के पास व्यक्ति को बताया कि यही शनि है और यही इसका घर है जिससे हम लोगो ने मोटर साइकिल खरीदी है। आवश्यक पुलिस बल लगाकर उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया, जिससे नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम शनि सिंह पुत्र विनोद कुमार सिंह ग्राम बेरुका

थाना जंसा जनपद वाराणसी उम्र करीब वर्ष बताया 19 और गाड़ी चोरी करने की बात स्वीकार की तथा बताये कि मुझे यह गाड़ी प्रदीप उर्फ गोलू यादव द्वारा चुराकर मुझे दिया गया था।

**\*गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-\***

- 1.अजय पटेल पुत्र छोटे लाल पटेल नि वर्ष 20 कुरौना थाना जंसा जनपद वाराणसी उम्र करीब 0
- 2.सलमान भारती पुत्र पोसू नि वर्ष 20 ग्राम परमन्दापुरा थाना जंसा जनपद वाराणसी उम्र करीब 0
- 3.शनि सिंह पुत्र विनोद कुमार सिंह नि बेरुका 0ग्रा 0थाना जंसा जनपद वाराणसी।

**प्रकाश में4 - फरार/**प्रदीप यादव उर्फ गोलू पुत्र सुरजू यादव निभीखमपुर थाना कपसेठी 0ग्रा 0 जनपद वाराणसी

**\*बरामदगी का विवरण-\***

- 1.स्पलेण्डर पल्स नम्बर UP65CM7175 इंजन नं0 HA10ERGHKA3770 व चेचिस नं0 MBLHA103GGHK55399 सम्बन्धित मु0अ0सं0 11/2021 धारा 379 IPC
- 2.मो0सा0 पल्सर रजिस्टेशन नं0 UP 65 DC 3294 तथा इंजन नं0 DHYRJC 81271 चेचिस नं0 MD2A11CYXJRC07904 सम्बन्धित मु0अ0सं0 09/2021 धारा 379 IPC

**\*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-\***

- उ0नि0 दिलेश कुमार सरोज, उ0नि0 अखिलेश कुमार वर्मा, उ0नि0 रामभवन प्रजापति, हे0का0 नरेन्द्र कुमार तिवारी, का0 अतुल यादव थाना दशाश्वमेघ जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



\*प्रेस नोट\*

आज दिनांक 23.02.2021 को थाना चौबेपुर पुलिस के उ0नि0 कुँवर अंशुमान मय हमराह देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली की एक टाटा पिकप लोडर वाहन से गौ-तस्कर गोवंश लेकर मेवड़ी सन्दहा से गौरा कला बाजार की ओर आ रहे हैं, यदि जल्दी किया जाय तो पकड़े जा सकते हैं। इस सूचना पर विश्वास कर थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की निशानदेही पर चिरईगाँव की ओर से आ रही एक चार पहिया वाहन टाटा पिकप को रूकने का इशारा किया गया तो उक्त वाहन का ड्राइवर कुद कर चिरईगाँव की ओर पीछे मुड़कर भाग गया तथा पिकप वाहन के ड्राइविंग सीट के बगल सीट पर बैठे व्यक्ति को भागते समय मौके से ही पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता गया तो उसने अपना नाम मुन्दर यादव पुत्र राधे यादव उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम तोफापुर थाना चौबेपुर वाराणसी बताया। पिकप वाहन का निरीक्षण किया गया तो उपरोक्त पिकप वाहन का नम्बर UP 65 DT 7232 है जिसमे तीन राशी बछड़े व 6 राशी गाय रस्सी से क्रुरता पूर्वक बंधे हुए मिले। थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा पकड़े गये अभियुक्त को समय करीब 02.35 बजे गिरफ्तार कर, पिकप वाहन उपरोक्त को एम.वी. एकट में सीज कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

\*पूछताछ विवरण\*

पकड़े गये व्यक्ति ने पूछताछ में बताया कि उक्त गाय व बछड़ो को मैं व मेरे साथी नन्दनी राजभर, गोली सिंह और राजू मियाँ गाँव-गाँव से आवारा घुमते हुए पकड़कर बगीचो मे इकट्ठा करते हैं जिसे राजू मियाँ द्वारा लाये गये लोडर वाहन मे लादकर चन्दौली ले जाकर वध हेतु बेच देते हैं। और उससे मिले पैसो को आपस मे बाट लेते हैं।

\*गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-\*

- मुन्दर यादव पुत्र राधे यादव ग्राम तोफापुर थाना चौबेपुर वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष

\*नाम पता वांछित/फरार अभियुक्त:-\*

- 1.गोलू सिंह पुत्र अज्ञात ग्राम डुबकिया थाना चौबेपुर वाराणसी
- 2.नन्दनी राजभर पुत्र अज्ञात ग्राम तरयां थाना चौबेपुर वाराणसी
- 3.राजू मिया पुत्र अज्ञात ग्राम डुबकिया थाना चौबेपुर वाराणसी।

\*बरामदगी का विवरण-\*

- 9 राशि गौ वंश

\*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-\*

- उ०नि० कुँवर अंशुमान सिंह चौकी प्रभारी जाल्हूपुर, उ०नि० अतुल मिश्रा चौकी प्रभारी चिरईगांव थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी, हे०का० योगेन्द्र यादव, हे०का० अरविन्द वर्मा, का० अर्जुन सरोज, का० अमरजीत कन्नौजिया थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



\*प्रेस नोट\*

आज दिनांक **23-2-2021** को थाना लोहता पुलिस द्वारा उशिव सहाय सरोज मय हमराह देखभाल क्षेत्र 0नि0, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के वीर सिंहपुर के पास मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति कोरउत पुल के पास खड़ा है जो बकरा-बकरी चोरी करता है। आज भी पुल के पास खड़ा है, यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर मुखबिर के निशानदेही पर उक्त स्थान से एक व्यक्ति को पकड़ा गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम व पता पूछने पर अपना नाम नाजिम पुत्र इकबाल अहमद निवासी अम्बा नई बस्ती बजरडीहा थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी उम्र 23 वर्ष बताया। जिसके कब्जे से 1310/- रुपये (चोरी के बकरा-बकरी बिक्री के) बरामद हुआ। अभियुक्त नाजिम उपरोक्त को थाना लोहता पुलिस द्वारा समय 11.30 बजे गिरफ्तार कर, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण –

पकड़े गये व्यक्ति ने पूछताछ में बताया कि मैं बकरा-बकरी चोरी करता हूँ और बेच देता हूँ। और बताया कि मैंने कुछ दिन पूर्व ग्राम लोहरापुर से एक व्यक्ति के घर के पास मैदान से तीन बकरी व दो बकरा चुराया था जिसे बाहरी व्यापारी बेच दिया जिसमें बिक्री से 15,000/ रुपये मिला था, उसी के 1310/- रुपये बचे हैं बाकी खर्च हो गये।

\*गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-\*

1. नाजिम पुत्र इकबाल अहमद निवासी अम्बा नई बस्ती बजरडीहा थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी उम्र 23 वर्ष ।

\*संबंधित अभियोग का विवरण\*

- मु0अ0स0 007/2021 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना लोहता जनपद वाराणसी

\*बरामदगी का विवरण-\*

- 1310 रुपये नकद

\*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-\*

- उ0नि0 शिवसहाय सरोज , का0 आदित्य कुमार थाना लोहता जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी  
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, [ईमेल-sspvn-s-up@nic.in](mailto:ईमेल-sspvn-s-up@nic.in), Facebook-policevaranasi  
संख्या: पीआरओ 133/2021 दिनांक: फरवरी, 23/2021

\*प्रेस नोट\*

आज दिनांक 23.02.2021 को थाना जैतपुरा के उ0नि दयाशंकर यादव मय हमराह देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान मुखबिर कि निशानदेही पर थाना जैतपुरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 39/21 धारा 377 भादवि व 5m/6 पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त एकलाक उर्फ बल्लू पुत्र मोहम्मद यासीन उर्फ जानीवाकर निवासी ए 39/304-1-A-2 सरैया तकिया थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी उम्र 21 वर्ष को अलईपुरा सिटी स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी के संबंध में थाना जैतपुरा द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-\*

1. एकलाक उर्फ बल्लू पुत्र मोहम्मद यासीन उर्फ जानीवाकर निवासी ए 39/304-1-A-2 सरैया तकिया थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी उम्र 21 वर्ष

\*संबंधित अभियोग का विवरण\*

- मु0अ0सं0-39/2021 धारा 377 भादवि व 5m/6 पाक्सो एक्ट थाना जैतपुरा वाराणसी ।

\*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-\*

उ0नि0 दयाशंकर यादव, हे0का0 धर्मेन्द्र चतुर्वेदी थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।



\*प्रेस नोट\*

दिनांक 22.02.2021 को थाना लंका के उ0नि0 मनीष सिंह मय हमराह देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि एक संदिग्ध व्यक्ति एक बोरे में कुछ चोरी का ताँबे का पाइप लेकर लौटूबीर मंदिर की तरफ जा रहा है, यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर विश्वास कर उक्त स्थान से मुखबिर की निशानदेही पर एक व्यक्ति को पकड़ा गया। पकड़ गये व्यक्ति का नाम पता पूछने पर अपना नाम राहुल विश्वकर्मा पुत्र महेन्द्र विश्वकर्मा निवासी छित्तपुर लंका वाराणसी उम्र लगभग 20 वर्ष बताया। जिसके कब्जे से एक बोरे में 136 अदद ताबे का कटा हुआ टुकड़ा व नगद 2300/- रुपये (चोरी के सामान के बिक्री के) बरामद हुआ। थाना लंका पुलिस द्वारा समय 22.00 बजे अभियुक्त राहुल विश्वकर्मा उपरोक्त को गिरफ्तार कर, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

\*गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-\*

1. राहुल विश्वकर्मा पुत्र महेन्द्र विश्वकर्मा निवासी छित्तपुर लंका वाराणसी उम्र लगभग 20 वर्ष

\*आपराधिक इतिहास का विवरण\*

1. मु0अ0स0 877/2020 धारा 379 भादवि थाना लंका वाराणसी ।
2. मु0अ0स0 886/2020 धारा 379 भादवि थाना लंका वाराणसी ।

\*बरामदगी का विवरण\*

- 136 अदद ताबे का कटा हुआ टुकड़ा

\*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-\*

उ0नि0 मनीष सिंह, उ0नि0 श्री उपेन्द्र कुमार यादव, उ0नि0 श्री शशिप्रताप सिंह, का0 सुमित सिंह, हे0का0 सतेन्द्र कुमार, का0 राजू थाना लंका जनपद वाराणसी

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।

\*प्रेस नोट\*

पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे \*“मिशन शक्ति”\* अभियान के अन्तर्गत दिनांक 23.02.2021 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108, 102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 142 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 3626 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 577 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 131 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 1088 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया साथ ही 01 व्यक्ति के विरुद्ध धारा 151 सीआरपीसी व 43 शोहदों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गई।

प्रभारी निरीक्षक  
सोशल मीडिया सेल  
जनपद वाराणसी।